संख्या-15 2022 311 001-87-01002-002-3-2022 अति ऊ स्रो वि

प्रेषक,

कुलदीप सिंह,
अनु सचिव,
उत्तसर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग **लखनऊ : दिनांक 04 मई, 2022**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड के कार्यो के संचालन हेतु मद संख्या-31 (वेतन) में धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक ऊर्जा विकास अभिकरण के पत्र संख्या-225/उ0प्र0रा0जै0ऊ0वि0बो0 /2022, दिनांक 19 अप्रैल, 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम चार माह (अप्रैल से जुलाई, 2022 तक) के लिये स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष ऊर्जा विकास अभिकरण, उ0प्र0 को आय-व्ययक के अनुदान संख्या-70 के अंतर्गत अभिकरण के कार्मिकों के वेतनादि हेतु धनराशि रू0 58.86 लाख में से धनराशि रू0 19,00,000/- (रूपये उन्नीस लाख मात्र) को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्ध

1- उक्त/ स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों में निहित प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- लेखानुदान के अन्तर्गत व्यवस्थित/स्वीकृत धनराशि से किसी भी अनानुमोदित मद/मदों पर व्यय न किया जाय। अनुदान का बिल अनु सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

3- उक्त धनराशि से संबंधित व्यय के उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड -5, भाग-1 के पैरा-369 एच के अनुसार यथासमय शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाये। इस अनुदान का लेखा स्थानीय निधि लेखा से कराकर आडिट रिपोर्ट भी शासन को उपलब्ध करा दी जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उक्त धनराशि के अन्तर्गत शासन द्वारा वित्त विभाग की सहमति से स्वीकृत वाहन/पी0ओ0एल0 आदि के संबंध में शासनादेश संख्या-315/दस-सं-वि0वि0-2/97, दिनांक 19-03-1997 के निर्देशानुसार व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

5- स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या--15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2021, दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 तथा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 19,00,000 (रुपये उन्नीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 070 लेखा शीर्षक 2810018000300 उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड मानक मद 31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक- 30 दिसंबर, 2021 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्याः 5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनांक- 29 मार्च 2022 मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

कुलदीप सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-15 2022 311 001-87-01002-002-3-2022 अति ऊ स्रो वि, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (प्रथम) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- कोषाधिकारी, लखनऊ।
3- वित्ति (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10, उत्तर प्रदेश शासन।
4- वित्ति (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
5- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कुलदीप सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in